बिहार विधायिका सभा का वादवृत्त

मंगलवार, तिथि १३ दिसम्बर १९४९

भारत शासन विधान, १९३५, के प्रवधान के अनुसार एकत्र विधायिका सभा का कार्य विवरण ।

सभा की बैठक पटने के सभा वेश्म में मंगलवार, तिथि १३ दिसम्बर १९४९ को ११—३० बजे पूर्वान्ह में, माननीय प्रमुख श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्म्मा के सभा-पतित्व में, हुई ।

नष्टभूमि सुधारने के लिए ट्रैक्टर ।

१२८ । श्री राजेन्द्र मिश्रः क्या माननीय मन्त्री, विकास विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(क) सुपौल और मधेपुर सबडिवीजन को नष्ट भूमि सुधारने के लिए सरकारी ट्रैक्टर क्यों नहीं भेजे गये;

(ख) क्या यह सही है कि यदि उपरोक्त क्षेत्र की जमीनों को सुधारा जाय तो उन इलाकों में अत्यधिक फसल उपजने की सम्भावना है,

(ग) क्या यह सच है कि कोशी की बर्बादी के कारण उन इलाकों में जमीन सुधारने के लिए मजदूर अप्राप्य है;

(घ) यदि खंड (ग) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उन इलाकों के परसरमा, राघोपुर, मधेपुरा तथा बनगांव के केन्द्रों में कुछ ट्रैक्टर पर बिचार कर रही है ?

माननीय डा० सैयद महमूदः

(क) कृषि विभाग ने सहरसा के लिए ट्रैक्टर भेजने का प्रबन्ध किया था किन्तु भीषण बाढ़ के कारण सभी ट्रैक्टर नहीं भेजे जा सके। एक ही ट्रैक्टर सभी सहायक सामानों के साथ भेजा जा सका ।

(ख) उत्तर 'हां' में है ।

(ग) सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है ।

(घ) उत्तर 'हां' में है ।

श्री हरिनाथ मिश्रः उत्तर (क) से एक ही ट्रैक्टर सभी सहायक सामानों के साथ भेजा जा सका । मै जानना चाहता हूं कि कितने ट्रैक्टर भेजे जाने बाले थे और अभीतक एक ही ट्रैक्टर भेजा गया था, इसका क्या कारण है ।

श्री वीरचन्द्र पटेल : एक जो ट्रैक्टर भेजा गया है उसी को अभी तक इस्तेमाल नहीं हो सका है। वहां बाढ़ आई हुई थी । यही वजह थी को वहां और ट्रैक्टर नहीं भेजा जा सका । अभी गवनमेंट विचार कर रही है और अपने विशेषज्ञ से परामर्श कर रही है कि बाढ़ पीड़ित जिलों में ट्रैक्टर का इस्तेमाल कैसे किया जा सके ।

श्री हरिनाथ मिश्र: मैं जानना चाहता हूं कि कितने ट्रैक्टर भेजने का प्रबन्ध किया गया था ?

श्री वीरचन्द्र पटेल: एक ही ट्रैक्टर भेजने का प्रबन्ध किया गया था ।

श्री हरिनाथ मिश्र: तो फिर यह कहने की क्या जरूरत हुई कि अभी एक ही ट्रैक्टर सभी सहायक सामानों के साथ भेजा जा सका ?

श्री वीरचन्द्र पटेल: चूंकि ट्रैक्टर का इस्तेमाल हो सका होता तो और पर विचार किया जाता मगर पहले ही ट्रैक्टर का इस्तेमाल नहीं हो सका तो दूसरे ट्रैक्टर की गुंजाइश नहीं थी ।

श्री हरिनाथ मिश्र: क्या सरकार को मालूम है कि बाढ़ की भीषणता वहां नहीं है और वहां ट्रैक्टर का इस्तेमाल अच्छी तरह किया जा सकता है ?

श्री वीरचन्द्र पटेल: वहां की मांग है और बाढ़के बाद का इस्तेमाल करने की गुंजाइश है यह सरकार समझती है । इसलिए जवाबमें कहा गया है कि इस बात पर विचार किया जा रहा है कि कितने ट्रैक्टर्स की जरूरत किन किन जगहों में है ।

श्री हरिनाथ मिश्र: यह विचार कितने दिनोंसे हो रहा है एवं सम्भवत: कितने दिनों तक इस पर विचार होगा ?

श्री वीरचन्द्र पटेल: तारीख तो नहीं बतला सकता लेकिन बाढ़ के जाने के बाद ही से विचार हो रही है ।

श्री हरिनाथ मिश्र: क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि एक्सपर्ट-कमिटी (expert committee) की रिपोर्ट कब तक आ जायगी ?

श्री वीरचन्द्र पटेल: माननीय सदस्य को जवाब भी सुनने की कोशिश करनी चाहिये : यहां किसी भी कमिटी का जिक्र नहीं है ।

श्री जमुना प्रसाद सिंह: क्या सरकार बतला सकती है कि सहरसा में ट्रैक्टर के इस्तेमाल करने में क्या विशेष दिक्कत है ।

श्री वीरचन्द्र पटेल: सरकार बतला चुकी है कि बाढ़ की वजह से ट्रैक्टर का इस्तेमाल करने में दिक्कत है और यही विशेष दिक्कत है

श्री जमुना प्रसाद सिंहः लेकिन बाढ़ के खतम होने के बाद ट्रैक्टर का इस्तेमाल हो सकता है या नहीं ?

श्री वीरचन्द्र पटेलः Provincial Organisation से सलाह करके इस पर विचार किया जा रहा है कि और कितने ट्रैक्टर भेजे जांय ।

श्री जमुना प्रसाद सिंहः बाढ़ की दिक्कत सिर्फ सहरसा जिलेमें है या दूसरे जिलों में भी ?

माननीय प्रमुखः दूसरे जिलों के विषय में प्रश्न ही नहीं है इसलिए यह प्रश्न नहीं उठता ।

सरदार हरिहर सिंहः क्या सरकार को मालूम है कि ट्रैक्टर तैयार नहीं है ?

श्री वीरचन्द्र पटेलः सरकार के पास ट्रैक्टर हैं और उसका इस्तेमाल भी हो रहा है ।

सरदार हरिहर सिंहः क्या सरकार यह समझती है कि जबतक भेजने का विचार होता रहे तबतक फिर बाढ़ आ जा सकती है ?

माननीय प्रमुखः इस प्रश्नकी उत्तर की जरूरत नहीं है ।

सहरसा के लिए लोहा का कोटा ।

१२६ । श्री राजेन्द्र मिश्रः क्या विकास विभाग के माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या यह सही है कि सहरसा जिले के लिए लोहा; और इस्पात का कोटा अलग नियत किया गया है और इसके स्टाकिस्ट भी अलग नियुक्त किये गये हैं और उस सब-डिस्ट्रिक्ट को उसका अलग कोटा कई बार मिल चुका है;

मा० सदस्य की अनुपस्थितिमें श्री हरिनाथ मिश्र के निवेदन करने पर असर दिया गया ।